छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक/14वें वित्त/पंचा./पंग्राविवि/2018/0153 अटल नगर, रायपुर दिनांक 1/10/ /2018

प्रति,

1. **कलेक्टर**
   जिला कोरिया, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, कांकेर, जगदलपुर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोण्डागांव, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, गरियाबंद, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी एवं रायगढ़।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
   जिला पंचायत कोरिया, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, कांकेर, जगदलपुर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोण्डागांव, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, गरियाबंद, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी एवं रायगढ़

विषय :– **प्रदेश की पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में सबकी योजना–सबका विकास (GPDP) निर्माण हेतु ग्रामसभा आयोजन विषयक् ।**

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्ष 2019–20 के जीपीडीपी निर्माण हेतु पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा आयोजित करने के संबंध में निर्देश दिए जाते है कि पेसा अधिनियम, 1996 के प्रावधानो के अनुसार प्रत्येक ग्राम/मजरा/टोला/पारा में ग्राम सभा आयोजित की जावें। इन ग्राम सभाओ में ग्राम पंचायत के अन्त्योदय सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट सचिव द्वारा प्रस्तुत की जाये तथा ग्राम सभा में चर्चा उपरांत उपलब्ध संसाधनो के अनुसार जीपीडीपी तैयार किया जावे।

इसके उपरान्त उपरोक्त ग्राम सभा में तैयार की गई जीपीडीपी को समेकित कर ग्राम पंचायत मुख्यालय में आयोजित पूरे पंचायत की संयुक्त ग्राम सभा में सार्वजनिक विचार–विमर्श हेतु फेसेलीटेटर द्वारा प्रस्तुति दिया जावे। यह ग्राम सभा संसाधनो की उपलब्धता एवं मिशन अन्त्योदय सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम पंचायत की आवश्यकता के आधार पर पूरे ग्राम पंचायत के जीपीडीपी के अंतिम रूप देने का प्रस्ताव का अनुमोदन करेगी। मुख्यालय की ग्राम सभा में ही विभिन्न विभाग के अधिकारियो द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा स्व–सहायता समूहों द्वारा लाईवलीहुड प्लान प्रस्तुत किया जायेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत मुख्यालय में आयोजित संपूर्ण ग्राम पंचायत में स्वीकृत किये गये जीपीडीपी को प्लानप्लस में अपलोड किया जावें।

तदानुसार ग्राम सभाओ के लिए कार्यक्रम जारी करे।

01/10/18

(पी.सी.मिश्रा)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./14वेंवित्त/पंचा./पंग्राविवि/2018/0154 अटल नगर, रायपुर दिनांक 01/10/ /2018

प्रतिलिपि :–

1. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंग्राविवि, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
2. संचालक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर, छ.ग.।
3. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपसंचालक, पंचायत, जिला कार्यालय, कोरिया, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, कांकेर, जगदलपुर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोण्डागांव, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, गरियाबंद, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी एवं रायगढ छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग